

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: साशा/2020/30599

दिनांक :- 22 मार्च, 2020


:: आदेश ::

जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के लिये सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की जा चुकी है।

इस क्रम में कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के मध्यनजर मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा आज दिनांक 22.03.2020 को ली गई विडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला कोर समिति का गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम/पदनाम अधिकारी/कर्मचारी
1.	जिला पुलिस अधीक्षक या नामित प्रतिनिधी
2.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा
3.	अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन) भीलवाड़ा
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
5.	उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
6.	अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
7.	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
8.	जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
10.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा
11.	आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
12.	जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा

उक्तानुसार गठित कोर समिति उक्त प्रयोजनार्थ संयुक्त रूप से प्रतिदिन दोपहर 5.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हों, उन्हें सौंपे गये समस्त दायित्वों एवं प्रदत्त निर्देशों के अतिरिक्त जिले में व्याप्त स्थिति के निवारण, बचाव एवं नियंत्रण के संबंध में समग्र स्तर पर स्थिति का आंकलन एवं समीक्षा करेगी।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महो०, राजस्थान
2. मा० मुख्य सचिव महो०, राजस्थान-जयपुर

(2)

3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर
4. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज० जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
9. सर्व संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला-भीलवाड़ा
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला-भीलवाड़ा
13. समस्त तहसीलदार जिला-भीलवाड़ा
14. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला-भीलवाड़ा
15. सर्व संबंधित
16. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर

को प्रेषित हैं।


जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा